

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 513/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस एम ई सी सी जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल,
जयपुर


प्रार्थी बैंक

बनाम

1. मैसर्स रॉयल फैशन प्रोपराईटर श्री राज कुमार मीना पुत्र श्री अजय कुमार मीना
पता-प्लॉट नं. 10 गुरु कालोनी, राधे कृष्णा मन्दिर के सामने, गोनेर रोड, जयपुर
2. श्री राज कुमार मीना पुत्र अजय कुमार मीना
पता- 71, जैन मन्दिर, पुराना घाट, खानिया, अगरा रोड, जयपुर

अप्रार्थी

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of
security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 18.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.09.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स रॉयल फैशन की प्लॉट नं. 10 गुरु कालोनी, राधे कृष्णा मन्दिर के सामने, गोनेर रोड, जयपुर पर स्थित चल सम्पत्ति एन्टायर करन्ट एसेट्स एण्ड फिक्स्ड एसेट्स (बोथ प्रजन्ट एण्ड फ्यूचर) जो कि रॉ मटेरियल फिनिशड गुड्स, बुक डेब्ट्स कन्ज्यूमेबल स्टोर एण्ड स्पेयर आदि को हाईपोथीकेटेड कर कुल राशि 2,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.08.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी के सुयोग्य प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 2,00,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित चल सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 2,33,835/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.08.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स रॉयल फैशन की प्लॉट नं. 10 गुरु कालोनी, राधे कृष्णा मन्दिर के सामने, गोनेर रोड, जयपुर पर स्थित चल सम्पत्ति एन्टायर करन्ट एसेट्स एण्ड फिक्स्ड एसेट्स (वोथ प्रजन्ट एण्ड फ्यूचर) जो कि रॉ मटेरियल फिनिशड गुड्स, बुक डेब्ट्स कन्ज्यूमेबल स्टोर एण्ड स्पेयर आदिका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त बंधक सम्पत्ति का प्रार्थी बैंक को कब्जा प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को कब्जा दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 18.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(Handwritten signature)
18/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर